

अनुसूची- पांच (ग)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)
छत्तीसगढ़ के शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा/भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र/पुत्रीआत्मज/आत्मजा श्री.....
निवासी छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में
स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस/बीपीटी) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूँ।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 537 दिनांक 16.07.2025 (Rule 503/30/2025/MED) "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम- " एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मेरा पुत्र /पुत्री राज्य कोटे की सामान्य /आरक्षित श्रेणी का छात्र /छात्रा है।
3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूँ कि :-

यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा तृतीय चरण की काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त
शिक्षण सत्र हेतु एमबीबीएस/बीडीएस/बीपीटी पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट परित्याग किया जाता
है तो मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणी हेतु नियम 11 में उल्लेखित सम्पूर्ण राशि शासन/निजी
महाविद्यालय को देय होगी।

पता

फोन नं.

अभिभावक
का फोटो (नोटरी
स्टॉप फोटो के
अंदर होना
चाहिए)

अभिभावक

प्रतिभूतिकर्ता
का फोटो (नोटरी
स्टॉप फोटो के
अंदर होना
चाहिए)

प्रतिभूतिकर्ता

हस्ताक्षर अभिभावक

प्रतिभूतिकर्ता

मैं..... पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री निवासी
उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी

गवाह के हस्ताक्षर नाम एवं पता सहित:-

1. गवाह

2. गवाह

गवाह नं. 01
का फोटो (नोटरी
स्टॉप फोटो के
अंदर होना
चाहिए)

गवाह नं. 02
का फोटो (नोटरी
स्टॉप फोटो के
अंदर होना
चाहिए)

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

नाम -

पता -

.....